



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1543) पटना, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025

सं० वन पर्या०-01/2013 (खंड) 2946—प०व०ज०प०
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

8 अक्तूबर 2024

विषय :—वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर का बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर (Bihar Forestry College and Research Institute, Munger-BFCRI, Munger) के रूप में नामकरण एवं उन्नयन तथा इस संस्थान के संचालन हेतु स्थायी व्यवस्था की स्वीकृति।

राज्य में वानिकी एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के संबंध में शोध एवं प्रशिक्षण कार्य तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या-54(ई.) दिनांक-28.01.2016 द्वारा मुंगेर जिला के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की 105 एकड़ भूमि में वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर की स्थापना किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। उक्त संकल्प द्वारा इस महाविद्यालय के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन संचालित होने तथा इसमें चलाये जाने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से होने का निर्णय संसूचित है।

2. वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर में वानिकी से संबंधित विषयों के पठन-पाठन कार्यों के संचालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-104(ई.) दिनांक-03.02.2023 द्वारा शैक्षणिक पद-74 एवं गैर शैक्षणिक पद-130 अर्थात् कुल 204 विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वनों एवं वन्यप्राणियों के प्रभावी संरक्षण कार्यों में शोध एवं प्रशिक्षण का अत्यधिक महत्व है। बिहार में वृहत स्तर पर वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों यथा-हरित आवरण बढ़ाने हेतु हरियाली मिशन की स्थापना कर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, वन्यप्राणी संरक्षण हेतु वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना एवं विभिन्न आश्रयणियों में वन्यजीव प्रबंधन, प्रवासी पक्षी/घड़ियाल/कछुआ/गिद्ध/गैंडा आदि प्रजातियों पर केन्द्रित संरक्षण कार्य, ईको पर्यटन, वनों पर आधारित समुदायों के जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु प्रशिक्षण आदि के दृष्टिपथ में वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर को बिहार राज्य में वानिकी एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (Center of Excellence) के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु बिहार राज्य में तद्संबंधी विषयों पर एक शोध-सह-प्रशिक्षण संस्थान की भी आवश्यकता को देखते हुए "वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर" का "बिहार वानिकी एवं शोध संस्थान, मुंगेर" के रूप में उन्नयन एवं नामकरण किया जाना आवश्यक है।

4. (i) उपर्युक्त “बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर” के दो भाग होंगे। एक भाग में वानिकी महाविद्यालय होगा जिसमें वानिकी से संबंधित पठन-पाठन कार्य सम्पादित किये जायेंगे। पठन-पाठन कार्य बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से सम्बद्ध रहेगा और इसमें विश्वविद्यालय के नियमों को अंगीभूत किया जाएगा।
- (ii) “बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर” के दूसरे भाग में शोध संस्थान होंगे जिसमें वनों एवं वन्यप्राणियों से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य किये जायेंगे। यह शोध संस्थान अनुसंधान एवं अन्य कार्यों के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून, वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून आदि संस्थानों से सीधा समझौता कर सकेगा। साथ ही इस संस्थान में भारतीय वन सेवा, बिहार वन सेवा, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा अन्य स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा भी रहेगी। भविष्य में “बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान” को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिणत किया जा सकेगा।
5. उपरोक्त के आलोक में मुंगेर में मौजूदा वानिकी महाविद्यालय का “बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर” (Bihar Forestry College and Research Institute, Munger-BFCRI, Munger) के रूप में उन्नयन, नामकरण तथा इसके नियमित संचालन हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

- (i) संस्थान का नाम :
मुंगेर जिला में वर्तमान में “मुंगेर वानिकी महाविद्यालय” के नाम से निर्मित महाविद्यालय को “बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर (Bihar Forestry College and Research Institute, Munger-BFCRI, Munger)” के रूप में परिणत किया जाता है।
- (ii) परिचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण :
“बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर” पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पूर्ण नियंत्रण में कार्यरत रहेगा। इस आलोक में संस्थान के भवनों एवं अन्य सुविधाओं के नियंत्रण एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की होगी।
- (iii) प्रशासनिक संरचना :
“बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर” का प्रशासनिक नियंत्रण “निदेशक” के अन्तर्गत रहेगा, जो भारतीय वन सेवा के मुख्य वन संरक्षक स्तर या उच्चतर श्रेणी के पदाधिकारी होंगे। ये शैक्षणिक, वानिकी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यों के नियंत्री एवं प्रभारी रहेंगे। इस पद का सृजन होने एवं उसपर पदस्थापन होने तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा निर्देशित पदाधिकारी अतिरिक्त रूप से संस्थान के शैक्षणिक, वानिकी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यों का नियंत्रण करेंगे। नेतृत्व, प्रशिक्षण, शोध संरचना एवं तत्संबंधी प्रबंधन व मानव संसाधन की व्यवस्था एवं पदों का सृजन आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा किया जाएगा।
- (iv) शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :
इस संस्थान में निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बिहार राज्य तथा अन्य राज्यों के वन सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा कराया जायेगा। अनुसंधान सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के अनुसंधान संस्थानों तथा विषय-विशेषज्ञता रखने वाले गैर-सरकारी संस्थानों/संगठनों से समन्वय/संबद्धता प्राप्त की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यों हेतु विभाग के पदाधिकारियों/वाह्य विशेषज्ञों का उपयोग किया जाएगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बन्दना प्रेयषी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1543-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>